

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(21)न्याय / 2025 / 54514

जयपुर, दिनांक:

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2025-26 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.09.2025 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित संयुक्त विधि परामर्शी का चयन योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-4 (37400-67000) GP No.-22 (8700) L-21 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र०स०	नाम अधिकारी (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	रिक्ति की तिथि
1.	जगदीश कुमार (अजा)	01.04.2025
2.	धर्मेन्द्र दादवानी	01.04.2025
3.	सुरेश चन्द शर्मा	01.05.2025
4.	महेश कुमार गोयल	01.07.2025
5.	गिरधारी लाल जाखड़	01.12.2025
6.	नटवर लाल आचार्य	01.02.2026

श्री नटवर लाल आचार्य (अनारक्षित) को मूल वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ होने के कारण अजजा पद के विरुद्ध पदोन्नत/चयन किया गया है। उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव